भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा.सं.27(1)/सीआर-2001-II

दिनांक : 30.06.2015

वर्ष 2015 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं.07

(वर्ष 2014 की वापोप सूचना आदेश सं.10 का आंशिक आशोधन)

विषय: तत्कालीन वाणिज्य पोत परिवहन (वापोप) (सीडीसी) नियमावली, 1960 के अंतर्गत जारी किए गए सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र-सह-समुद्रकर्मी पहचान प्रलेख(सीडीसी) को बदला जाना-संबंधी.

पूर्वोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.07.2014 को वाणिज्य पोत परिवहन (वापोप) सूचना सं. 10/2014 (फा.सं.27(1)/सीआर/2001भाग-II) जारी की गई थी.

2. वर्ष 2014 की वापोप सूचना सं.10 के आंशिक आशोधन में उसमें तत्काल प्रभाव से निम्नोक्त प्रावधान शामिल किए जाते है;

क्र.सं.	वर्ष 2014 की उक्त वापोप सू.सं.10 की परिच्छेद सं.	वर्ष 2014 की वापोप सूचना सं. 10 में यथा विद्यमान प्रावधान	प्रावधान को अब इस तरह से पढ़ा जाएगा
1	2	3	4
1	2.3	प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ डाक द्वारा आवेदन प्राप्त हुए और इन व्यक्तियों को डाक द्वारा ही सीडीसी जारी किए गए. सीडीसी आवश्यक रूप से उचित अभिलेख हेतु मात्र स्पीड पोस्ट ए/डी (पावती देय) द्वारा ही भेजा जाए. नए/ बदले गए सीडीसी के विवरण सीडीसी जारी करने वाले सरकारी नौवहन कार्यालय के संबंधित सरकारी सीडीसी रजिस्टर (रों) में दर्ज किए जाएं.	नाविक पाल द्वारा समझे गए/ निर्धारित किए अनुसार और अकाट्य रूप से लिखित रूप में दर्ज कर, यदाकदा होने वाली/ अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर, सीडीसी मात्र स्पीड पोस्ट ए/डी द्वारा ही जारी की जाएगी.

3. इस विषय से जुड़ी हुई वापोप सूचना सं. 23/2003, 9/2004, 14/2005, 17/2008, 2/2011 और 10/2014 की अन्य सभी शर्तें और निबंधन अपरिवर्तित रहेंगे.

4. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(डॉ. अमोल बी. किर्तने)
उप नौवहन महानिदेशक (क्रू)